

बिहार सरकार
युवा, रोजगार एवं कौशल विकास विभाग
निदेशालय, नियोजन एवं प्रशिक्षण, बिहार पटना।

संकल्प

- विषय:— राज्य के औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के नामांकन प्रक्रिया में संशोधन करने एवं निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में कुल स्वीकृत सीटों के 50 प्रतिशत सीटों पर नामांकन बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद, पटना के माध्यम से करने की स्वीकृति के संबंध में।
- वर्तमान में निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में शत-प्रतिशत नामांकन संस्थान के संचालकों/प्रबंधकों द्वारा किया जाता है। नामांकन प्रक्रिया में समरूपता एवं पारदर्शिता नहीं रहने के कारण नामांकन कम होता है तथा बड़ी संख्या में सीटें रिक्त रह जाती है।
02. राज्य के निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में नामांकन बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद, पटना के माध्यम से करने का मुख्य उद्देश्य नामांकन प्रक्रिया में समरूपता लाना, पारदर्शी एवं समयबद्ध करना, अधिक से अधिक अभ्यर्थियों को अवसर मिलना तथा नामांकन दर में वृद्धि करना है।
03. वर्तमान में राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में नामांकन बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद, पटना द्वारा प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से किया जाता है। नामांकन प्रक्रिया के द्वितीय चरण (Mop-up कॉउंसेलिंग) से संकल्प संख्या-2112 दिनांक-21.04.2023 की कंडिका-(iv) में वर्णित जिला बंधेज के प्रावधान को मुक्त किया जाता है।
04. राज्य के निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में कुल स्वीकृत सीटों के 50 प्रतिशत सीटों पर नामांकन बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद, पटना के माध्यम से किया जायेगा। शेष 50 प्रतिशत सीटों पर नामांकन पूर्व की भाँति लिया जा सकेगा। नामांकन प्रक्रिया में होने वाले व्यय का निर्धारण बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद, पटना के माध्यम से किया जायेगा।
05. बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद, पटना द्वारा नामांकन हेतु निर्धारित अंतिम तिथि के बाद रिक्त सीटों पर राज्य के निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में नामांकन संस्थान के संचालकों/प्रबंधकों द्वारा अपने स्तर से किया जायेगा।
06. संकल्प संख्या-2112 दिनांक-21.04.2023 एवं संकल्प संख्या-1666 दिनांक-19.12.2001 इस हद तक संशोधित समझा जाय।

5

07. उपर्युक्त पर मंत्रिपरिषद की स्वीकृति प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

S. Nayak
25/8/26
संयुक्त सचिव,

युवा, रोजगार एवं कौशल विकास विभाग
बिहार, पटना।

ज्ञापांक संख्या— टी-4/योजना-06/2026—1581 पटना, दिनांक—25.08.2026

प्रतिलिपि:— प्रभारी पदाधिकारी, ई-गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को (सी0डी0 के साथ) आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

S. Nayak
25/8/26
संयुक्त सचिव,

युवा, रोजगार एवं कौशल विकास विभाग
बिहार, पटना।

ज्ञापांक— टी-4/योजना-06/2026—1581 पटना, दिनांक—25.08.2026

प्रतिलिपि:— परीक्षा नियंत्रक, बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद, IAS संघ भवन, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

S. Nayak
25/8/26
संयुक्त सचिव,

युवा, रोजगार एवं कौशल विकास विभाग
बिहार, पटना।

ज्ञापांक— टी-4/योजना-06/2026—1581 पटना, दिनांक—25.08.2026

प्रतिलिपि:— सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग के आप्त सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

S. Nayak
25/8/26
संयुक्त सचिव,

युवा, रोजगार एवं कौशल विकास विभाग
बिहार, पटना।

ज्ञापांक— टी-4/योजना-06/2026—1581 पटना, दिनांक—25.08.2026

प्रतिलिपि:— प्रधान सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग/माननीय मंत्री, युवा, रोजगार एवं कौशल विकास विभाग के आप्त सचिव/सचिव युवा, रोजगार एवं कौशल विकास, विभाग के आप्त सचिव/निदेशक, नियोजन एवं प्रशिक्षण/सभी प्राचार्य, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान/सभी प्राचार्य, निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान/सभी क्षेत्रीय उप निदेशक प्रशिक्षण/आई0टी0 मैनेजर, युवा, रोजगार एवं कौशल विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

S. Nayak
25/8/26
संयुक्त सचिव,

युवा, रोजगार एवं कौशल विकास विभाग
बिहार, पटना।

5